रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 22, 2011/फाल्गुन 3, 1932

No. 94] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 22, 2011/PHALGUNA 3, 1932

संस्कृति मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2011

सा.का.नि. 106(अ).—रामपुर रजा पुस्तकालय अधिनियम, 1975 (1975 का 22वां) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रामपुर रजा पुस्तकालय सेवा भर्ती नियमावली, 2002 में उन बातों के सिवाय आंशिक रूप से अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रामपुर रजा पुस्तकालय बोर्ड, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम 'रामपुर रजा पुस्तकालय सेवा विनियम, 2011' है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **प्रयुक्ति.**—ये विनियम, रामपुर रजा पुस्तकालय बोर्ड, रामपुर के सभी सदस्यों पर लागू होंगे :

परन्तु ये उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे जो :

(i) बोर्ड के पूर्णकालिक नियोजन में नहीं हैं;

(ii) दैनिक मजदूरी आधार पर रोजगाररत हैं;

(iii) जिनकी सेवाएं सरकारी कार्यालय या अन्य संस्थाओं से उधार ली गई हैं बशर्ते कि संबंधित व्यक्ति सेवा उधार देने वाले अधिकारी के अनुमोदन से इन नियमों द्वारा शासित होना चाहे;

(iv) जो ऐसे विशेष अनुबंधों द्वारा शासित हैं जिनमें सेवा की विशिष्ट शर्तें और निबंधन विहित हैं बशर्ते कि संबंधित व्यक्ति, इन विनियमों से शासित होना चाहे ।

3. **परिभाषाएं.**—जब तक कि सन्दर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में :

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय रामपुर रजा पुस्तकालय अधिनियम, 1975 (1975 का 22वां) से है;

(ख) किसी भी पद के संबंध में 'नियुक्ति प्राधिकारी' से अभिप्राय विनियम के तहत नियुक्तियां करने के लिए सक्षम प्रणाली से है ।

(ग) 'बोर्ड' से अभिप्राय रामपुर रजा पुस्तकालय बोर्ड से है;

(घ) 'अध्यक्ष' से अभिप्राय बोर्ड के अध्यक्ष से है;

(ङ) 'निदेशक' से अभिप्राय पुस्तकालय के निदेशक से है;

(च) 'सरकार' से अभिप्राय भारत सरकार से है;

(छ) 'नियमावली' से अभिप्राय रामपुर रजा पुस्तकालय नियमावली, 1975 से है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
निदेशक	1	अननुसचिवीय	वेतन बैंड-4, 37400-67000 रु. + ग्रेड पे 10000 रु.	लागू नहीं	हां	62 वर्ष

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा/प्रतिनियुक्ति की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
(क) अरबी/फारसी/उर्दू/इस्लामी अध्ययनों/मध्यकालीन भारतीय इतिहास में प्रख्यात विद्वान (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उक्त विषयों/क्षेत्रों में पीएच.डी. की उपाधि (ग) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से उर्दू/फारसी/अरबी भाषा में उपाधि/डिप्लोमा (घ) समतुल्य पुस्तकालय, विश्वविद्यालय या अन्य मान्यता-प्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्यापन/अनुसंधान/प्रशासन का कम से कम 15 वर्ष का अनुभव ।	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाएगा
(11)	(12)
अनुबंध आधार पर तीन वर्ष के लिए जिसे सरकार के अनुमोदन से अध्यक्ष, रामपुर रजा पुस्तकालय बोर्ड द्वारा 5 वर्ष तक या इससे अधिक के लिए बढ़ाया जा सकता है ।	लागू नहीं

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
(i) अध्यक्ष, रामपुर रजा पुस्तकालय बोर्ड । (ii) भारत सरकार का नामिती । (iii) रामपुर रजा पुस्तकालय बोर्ड द्वारा इसके सदस्यों में से मनोनीत किया जाने वाला एक सदस्य । (iv) अध्यक्ष, रामपुर रजा पुस्तकालय बोर्ड के अनुमोदन से सहयोजित किया जाने वाला संबंधित विषय का एक विशेषज्ञ ।	लागू नहीं

(v) राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश का एक अधिकारी जिसे
अध्यक्ष, रामपुर रजा पुस्तकालय द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

[फा. सं. 26-8/2005-लिब.]

डॉ. (सुश्री) टी. कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE

(Department of Culture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2011

G.S.R. 106(E).—In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Rampur Raza Library Act, 1975 (22 of 1975) and in partial supersession of the Rampur Raza Library Service Recruitment Rules, 2002 in so far as it relates to the post of Director, except with respect to things done or omitted to be done before such supersession, Rampur Raza Library Board, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Rampur Raza Library Service Regulations, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Applications.—These regulations shall apply to all employees under the Rampur Raza Library Board, Rampur :

Provided that they shall not apply to persons :

(i) not in the whole-time employment of the Board;

(ii) employed on daily wages;

(iii) whose services have been borrowed from Government Office or from other institutions, unless the concerned persons, with the approval of the lending authority, opts to be governed by these regulations;

(iv) who are governed by special contracts with contain specified terms and conditions of service unless the concerned person opts to be governed by these regulations.

3. Definitions.—In these regulations unless the context otherwise requires :

(a) "Act" means the Rampur Raza Library Act, 1975 (No. 22 of 1975);

(b) "Appointing Authority" in relation to any post means the authority competent to make appointments under regulation;

(c) "Board" means the Rampur Raza Library Board;

(d) "Chairman" means the Chairman of the Board;

(e) "Director" means the Director of the Library;

(f) "Government" means the Government of India;

(g) "Rules" mean the Rampur Raza Library Rules, 1975.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band + Grade Pay/Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Director	1	Non-Ministerial	Pay Band-4, Rs. 37400-67000 +Grade Pay Rs. 10000	Not applicable	Yes	Sixty two years

Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotion	Period of probation/ deputation, if any
(8)	(9)	(10)
(a) A renowned scholar in Arabic/Persian/Urdu/ Islamic Studies Medieval Indian History (b) Degree of Ph.D. in any of the above subjects/ fields from a recognized University (c) Degree/Diploma in Urdu/Persian/Arabic language from a recognized University/Institute (d) At least 15 years' experience of teaching/research/ administration in a comparable Library, University or other recognized teaching Institution.	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion or deputation or transfer to be made
(11)	(12)
On contract for three years may be extended upto five years or more by Chairman, Rampur Raza Library Board, with approval of Govern-ment.	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee/Selection Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted for making recruitment
(13)	(14)
(i) Chairman, Rampur Raza Library Board. (ii) A nominee of Government of India. (iii) A member to be nominated by the Rampur Raza Library Board amongst themselves. (iv) An Expert on the subject to be co-opted with the approval of the Chairman of the Rampur Raza Library Board. (v) An Officer of Governor's Secretariat, Uttar Pradesh to be nominated by the Chairman, Rampur Raza Library Board.	Not applicable

[F. No. 26-8/2005-Lib.]

Dr. (Ms.) T. KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.